

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 181/2017-18



(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

घसिया मुण्डा

- विक्रेता

कुसुम एलिजबेत हेम्बरोम

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
12.07/18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक घसिया मुण्डा पिता स्व० राम मुण्डा ग्राम जियारप्पा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने कुसुम एलिजबेत हेम्बरोम पिता जोन हेम्बरोम ग्राम गिरजाटोली, खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="349 703 1421 819"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जियारप्पा</td> <td>227</td> <td>05</td> <td>2063</td> <td>0.20</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, निबंधन पत्र एवं लगान की रसीद सं० 1507717644 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 946 दिनांक 06.12.2017 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खरीदगी है। खतियानी रैयत का नाम कईला मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार घसिया मुण्डा पिता राम मुण्डा है। आवेदक के पास अन्य खाता 23, 24 रकबा 31.45 एवं 1.21 एकड़ कुल रकबा 32.66 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 18428.00 (अठारह हजार चार सौ अठाईस) प्रति डिसिमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 32.46 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण घसिया मुण्डा पिता स्व० राम मुण्डा को कुसुम एलिजबेत हेम्बरोम पिता जोन हेम्बरोम के साथ ग्राम जियारप्पा के खाता सं० 5 खेसरा संख्या 2063 का कुल रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 18428.00 (अठारह हजार चार सौ अठाईस) रुपये प्रति डिसिमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी। </p> <p style="text-align: right;">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी। </p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	जियारप्पा	227	05	2063	0.20	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
जियारप्पा	227	05	2063	0.20								

अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।